ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या–97/2019
प्रस्तुति दिनांक–05.09.2019
दिनांक–01.01.2025

जा देवी पत्नि श्रवणलाल जाति जाट निवासी ग्राम कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीया

बनाम

लाल पुत्र मांग्या जाति जाट निवासी ग्राम कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

दरा पुत्री मांग्या जाति जाट निवासी ग्राम कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ाल पुत्री मांग्या जाति जाट निवासी ग्राम कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

मरी पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

हसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

क्ता वादीया–श्री कैलाश चौधरी
क्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 03–अनुपस्थित
क्ता प्रतिवादी संख्या 04–श्री देवराज गुर्जर

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 1390 रकबा 00–06 बीघा, ख0न0 112 रकबा 06–18 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 07–04 बीघा वाके कुरेड़ी पटवार हल्का कुरेड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीया तिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। उपरोक्त वर्णित जीयात में वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 का 1/2, प्रतिवादी संख्या 04 का 1/4 ा दर्ज रिकॉर्ड है। वादीया व प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर बंहामी बंटवारा कर रखा है और बहामी बंटवारे अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया अपने हक व हिस्से की भूमि में एक

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ह का निर्माण कर रखा है। जिससे अपनी आराजीयात को सिंचित करती चली आ रही है। उपरोक्त
ात का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में विधिवत् रूप से तकासमा नहीं होने के कारण लगान की
तथा मेर कोर को लेकर वाद विवाद होता रहता है। इस कारण उक्त आराजी का उक्त हक व हिस्से के
वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे अनुसार विधिवत् तकासमा कराया जाकर वादीया के नाम
खाता कायम कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 जरिये
एडी0 तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में
ई। प्रतिवादी संख्या 04 की ओर अधिवक्ता श्री देवराज गुर्जर ने वकालतनामा प्रस्तुत कर मुताबिक वाद
प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीया ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए
दीया प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04 ने मुताबिक वाद वादीया
डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की।

हमने बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। भूमि
ख0नं0 68/1390 रकबा 00–06 बीघा, ख0नं0 112 रकबा 06–18 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 07–04
के ग्राम कुरेड़ी पटवार हल्का कुरेड़ा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं, जो वादीया व प्रतिवादी
01 ता 04 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने राजस्व रिकॉर्ड मे
क हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन किये जाने पर सहमति जताई। वादपत्र में संलग्न
के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वर्णित आराजीयात वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की संयुक्त
री की भूमि हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी
विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के बीच
ाथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से
वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते
ाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की
ती में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकासमा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 26.07.2022 से
जवाने हेतु निर्देशित किया गया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू द्वारा दिनांक 04.05.2023 से
मा रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी है।

अधिवक्ता वादीया ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता
ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीया डिक्री किये
का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट से सहमत होते हुए वाद वादी डिक्री किये
में अपनी सहमति जाहिर की। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीया बाबत् तकास्मा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है की मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वार्ड ग्राम
स्थित भूमि आराजी ख0न0 112/1 रकबा 0.4552 हैक्ट. वादीया राजा देवी पत्नि श्रवणलाल जाति जाट
तेदार राहिन आई.डी.बी.आई. बैक लि. शाखा टोंक के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0
कबा 0.4552 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 04 झमरी पत्नि गोपाल जाति जाट सा.देह राहिन बी.ओ.आई. शाखा
ाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व भूमि आराजी ख0न0 112/3 रकबा 0.8346 हैक्ट., ख0न0 68/1390 रकबा
ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.9105 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 रंगलाल पुत्र मांग्या हि. 1/3,
मांग्या हि. 1/3, रसाल पुत्र मांग्या हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा,
ाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के
व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू
कास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज
.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अ[illegible]ता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner